

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(37)PMVMY-CAS /ICDS/18/ 166500-809 जयपुर,दिनांक : 12.9.18
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त (राजस्थान)

विषय:- PMVMY अन्तर्गत लाभार्थियों के फॉर्म एंन्ट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि हो तो सुधार हेतु सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- विभाग का पूर्व पत्र क्रमांक 145068-372 दिनांक 10.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा PMVMY-CAS अन्तर्गत लाभार्थियों के फॉर्म एंन्ट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि सुधार हेतु निम्नानुसार प्रारूप में (LMP व ANC की सूचना अलग-अलग प्रारूप में) सूचना भिजवाया जाने हेतु लिखा गया था, किन्तु आज दिनांक तक सूचना अप्राप्त है :-

तालिका 3: LMP दिनांक को सही कराने का प्रारूप

क्र संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	आंगनवाड़ी का नाम	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का आधार नंबर	PMVMY.CAS में दर्ज LMP दिनांक	सही LMP दिनांक

तालिका 4: ANC दिनांक को सही कराने का प्रारूप

क्र संख्या	जिले का नाम	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	आंगनवाड़ी का नाम	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का आधार नंबर	PMVMY.CAS में दर्ज ANC दिनांक	सही ANC दिनांक


अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि PMVMY-CAS में आज दिनांक तक लम्बित फॉर्म का अनुमोदन तथा Correction Queue में लम्बित फॉर्म को सही करावें। साथ ही लाभार्थियों के फॉर्म एंन्ट्री में LMP व ANC की दिनांक में त्रुटि की सूचना उपरोक्त प्रारूप में तैयार कर संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभागीय ई-मेल आईडी pmmvy.wcdraj@gmail.com पर तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि उक्त लाभार्थियों को योजना की सभी किश्तों का लाभ मिल सकें।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(37)PMVMY-CAS /ICDS/18/ 166805-837 जयपुर,दिनांक : 12.9.18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त सीडीपीओ कार्यालयों से उपरोक्त सूचना प्राप्त कर निदेशालय, आईसीडीएस को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


प्रभारी अधिकारी (PMVMY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ